प्रकीर्ण वाद संख्या २२८/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. ११७/२०१९)
श्रीमती पुष्पा देवी आदि बनाम अनुराग आदि
१२.१२.२०२०

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुई। ३बी प्रार्थनापत्र पर प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है। प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। ३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती पुष्पा देवी व अनिकेत कुशवाहा, कृष्णा कुशवाहा अवयस्कगण जरिए माँ एवं प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती पुष्पा देवी द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है, कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक ०१.११.२०२० को राजीनामा के आधार पर लोक अदालत में ₹ ८,००००० का एवार्ड पारित किया गया है, जिसके अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा उक्त धनराशि न्यायाधिकरण के सिन्डीकेट बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी में जमा कर दी गयी है, जिसका यू.टी.आर. नं. N 322201312231137 है। अतः प्रार्थीगण ने उक्त जमाशुदा प्रतिकर की धनराशि मय ब्याज उनके पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने की याचना की है। समर्थन में प्रार्थीगण ने ४सी२ शपथपत्र श्रीमती पुष्पा देवी, प्रार्थी सं. १ व २ के आधार कार्ड, विपक्षी सं. १ कृष्णा के जन्म प्रमाण पत्र व श्रीमती पुष्पा देवी के बैंक खाते की छाया प्रति दाखिल की गयी हैं।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया है। प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद व एम.ए.सी.पी. सं. ११७/२०१९ श्रीमती पुष्पा देवी आदि बनाम अनुराग आदि की पत्रावलियों एवं कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। उक्त एम.ए.सी.पी. सं. ११७/२०१९ में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक ०१.११.२०२० को सुलहनामा के आधार पर लोक अदालत में ₹ ८,००,००० का एवार्ड पारित किया गया है, जिस धनराशि में से याची सं. १ श्रीमती पुष्पा देवी को क्रमशः ५० प्रतिशत धनराशि प्राप्त होनी है तथा याची सं. २ व ३ जो कि अवयस्क हैं उन्हें उक्त प्रतिकर की धनराशि में से प्रत्येक को २५-२५ प्रतिशत धनराशि प्राप्त होनी है। याची सं. १ व २ को प्राप्त होने वाली धनराशि उनके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में उनके वयस्क होने तक के लिए किसी सर्वोच्य ब्याज दर देने वाली सावधि जमा योजना में रखी जानी है, जिसकी समस्त धनराशि वे वयस्क होने पर प्राप्त करेंगे तथा याची सं.१ को प्राप्त होने वाली उक्त धनराशि का २५ प्रतिशत भाग वह आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिये अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त करेगी तथा शेष ७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति धनराशि की ५ वर्ष के लिए उसके नाम एन्युटी बनाई जानी है। कार्यालय आख्या के अनुसार के अनुसार चेक पंजिका के क्रमांक १६५ पर बीमा कम्पनी द्वारा यू.टी.आर. नं. N 322201312231137 के जरिये ₹ ८,००,००० सिन्डीकेट बैंक, गोविन्द चौराहा झाँसी में जमा होने का इन्द्राज है। प्रार्थिया श्रीमती पुष्पा देवी द्वारा अपने शपथपत्र में यह कथन किया है कि उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रार्थिया श्रीमती पुष्पा देवी द्वारा अपने बैंक खाते की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई है। प्रार्थीगण सं. १ व २ वर्तमान में भी अवयस्क है। अतः मेरे विचार से न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में प्रार्थीगण प्रकरण में जमाशुदा प्रतिकर की धनराशि बैंक खाते में जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट व एफ.डी.आर. के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी है।

आदेश

सिन्डीकेट बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ११७/२०१९ (प्रकीर्ण वाद सं. २२८/२०२०) श्रीमती पुष्पादेवी आदि बनाम अनुराग आदि) के प्रकरण में जमाशुदा क्षतिपूर्ति धनराशि मय ब्याज प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Applicant/ Petitioner	Amount in Rs.	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1. Smt. Pushpa Devi	100000	12.5	Elect.Mode RTGS/NEFT	92352010011068	Syndicate Bank, Govind Chauraha Jhansi	SYNB0009235
1. Smt. Pushpa Devi	300000	37.5	Annuity for 5 Years	___	Any Nationalized Bank	____
2. Aniket Kushwaha	200000	25	FD up to his majority carrying highest interest through his natural guardian Mother Smt. Pushpa Devi	___	Any Nationalized Bank	___
2. Krishna	200000	25	FD up to his majority carrying	___	Any Nationalized Bank	____

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.12 14:40:32 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

			highest interest through his natural guardian Mother Smt. Pushpa Devi			
Total	**800000**	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।